न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 91/2017 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2017/00273

प्रार्थी :—

बाबुलाल पुत्र श्री गणेशा जी जाति माली निवासी सोनारो का बास, राम नगर, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।

बनाम

अप्रार्थीगण :—

1. ग्राम पंचायत एरनपुरा जरिये सरपंच तहसील सुमेरपुर।
2. गोविन्दराम पुत्र श्री गणेशमल
3. अमृतलाल पुत्र श्री गणेशमल
4. कमलेश पुत्र श्री तुलसीराम
5. मांगीबाई पत्नी स्व. श्री तुलसीराम जातिगण सोनी निवासीगण रामनगर, तहसील सुमेरपुर जिला पाली।
6. रमेश कुमार पुत्र श्री प्रेमचन्द जाति सोनी निवासी रामनगर, तहसील सुमेरपुर जिला पाली हाल बमुकाम मै. सोनी प्रेमचन्द मंगनीराम, चौखा बाजार प्रेम दरवाजा के पास अहमदाबाद (गुजरात)
7. सुरेश कुमार पुत्र श्री प्रेमचन्द जाति सोनी निवासी रामनगर, तहसील सुमेरपुर जिला पाली हाल बमुकाम मै. सोनी प्रेमचन्द मंगनीराम, चौखा बाजार प्रेम दरवाजा के पास, अहमदाबाद (गुजरात)।
8. श्रीकान्त पुत्र श्री प्रेमचन्द जाति सोनी निवासी रामनगर, तहसील सुमेरपुर जिला पाली हाल बमुकाम मै. सोनी प्रेमचन्द मंगनीराम, चौखा बाजार प्रेम दरवाजा के पास, अहमदाबाद (गुजरात)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता :— प्रार्थी की ओर से लक्ष्मीनारायण वैष्णव उपस्थित
अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित उपस्थित

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 22/2/21

वकील प्रार्थी द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के विरूद्ध प्रस्ताव संख्या 18 दिनांक 30.11.1967 तथाकथित मिसल संख्या 29/1966 में पारित आदेश दिनांक 15.05.1966 के अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 35 दिनांक 25.01.1968 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई है प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तथा ग्राम पंचायत ऐरनपुरा का जैर निगरानी पट्टा सम्बन्धी रेकर्ड तलब किया जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा आराजी पर प्रार्थी का कब्जा उसके दादा के समय से है मकान बना हुआ है उसपर उसके दादा रहे फिर पिता रहे आज भी उसका निवास इसी मकान में है सभी की शादियां इसी मकान में हुई मकान में प्रार्थी के पिता के समय से विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है मकान पर शौचालय निर्माण योजना के तहत शौचालय निर्माण किया हुआ है प्रार्थी के पिता व दादा के नाम जैर निगरानी प्रस्ताव पारित कर पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त किया जावे। प्रार्थी का राशन कार्ड, वोटर आई.डी. सभी दस्तावेज में इसी मकान का पता है। इससे उक्त मकान में प्रार्थी का कब्जा होना साबित है तत्कालीन सरपंच ने अप्रार्थी से मिलावट

क्रमश.....2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:50:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

कर अप्रार्थी के मकान का पट्टा अप्रार्थीगण के पिता के नाम जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत एरनपुरा में जैर निगरानी पट्टा बाबत मिसल नहीं है न ही पट्टा बुक है। ऐसी स्थिति में पट्टे के विधीसम्मत कार्यवाही किया जाना भी सिद्ध नहीं होता है इसलिए भी पट्टा निरस्त किया जाना विधीसम्मत है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना कब्जे के पट्टा जारी कर दिया गया जो विधिक रूप से निरस्त योग्य है। प्रार्थी का उक्त आराजी पर पुश्तैनी मकान बना हुआ है। तथा पट्टा बहाल रखा जाता है तो प्रार्थी को अपने रहवासीय मकान से हाथा धोना पड़ेगा। वह इससे वंचित हो जायेगा। इसके अलावा प्रार्थी के पास मकान नहीं है। अप्रार्थीगण को जारी पट्टा 6225 वर्गफुट का जारी किया गया है इतना बड़े भू भाग का पट्टा जारी करने की अधिकारीता पंचायत को नहीं थी न ही कब्जा था ऐसी स्थिति में पट्टा निरस्त फरमाया जावे। नकले मांगने पर पंचायत में रेकर्ड नहीं होना बताया। मात्र प्रस्ताव की नकले मिली थी। आज भी रेकर्ड मिसल व पट्टा बुक नहीं है। निर्माण इजाजत मांगने पर पंचायत द्वारा मौका रिपोर्ट बनाई गई उसमें भी निगरानी आराजी पर प्रार्थी का मकान होना स्पष्ट है पंचायत द्वारा पट्टे सम्बन्धी विधीअनुसार कार्यवाही किया जाना रेकर्ड के अनुसार सिद्ध नहीं होने से पट्टा जैर निगरानी निरस्त फरमाया जावे। मात्र प्रस्ताव लेकर विक्रय विलेख जारी कर दिया जिसे निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने लिखित बहस पेश करते हुए वक्त बहस निवेदन भी किया कि अप्रार्थी की पट्टा सुदा भूमी के पास प्रार्थी बाबुलाल का मकान था बाबूलाल के मकान के चिपती होने से बाबूलाल ने उपयोग व उपभोग हेतु अप्रार्थी की पट्टा सुदा भूमी 300/– रूपये प्रतिमाह से किराये पर ली थी तथा समयानुसार इसे बढाया भी गया। वर्तमान में 1000/– रूपये किराया है। लगातार उपयोग करने से प्रार्थी के मन में फर्क आ गया। पहले उसने क्रय करने की बात कही जब अप्रार्थीगण ने देने से मना कर दिया तो उस पर कब्जा कर दिया तथा पट्टा खारिज बाबत यह निगरानी पेश की। अप्रार्थी ही जैर निगरानी आराजी का पट्टा सुदा मालिक है। अप्रार्थीगण ने वास्तविक वस्तुस्थिति बाबत सिविल न्यायालय सुमेरपुर में वाद कब्जा एवं किराया बाबत विचाराधीन है। प्रस्तुत निगरानी में पट्टे को निरस्त किया जाने हेतु पट्टे की अविधिकता होना आवश्यक है प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड के तत्कालीन समय बाजार मुल्य अनुसार क्रय कर पट्टा जारी कराया है जिसके उस वक्त 40/– रूपये भूखण्ड के व 2 रूपये फीस के 1966 में ग्राम पंचायत को अदा किए। पट्टा विधिक नियमों की पालना कर जारी किया गया है कार्यवाही रजिस्टर के दिनांक 30.11.1967 के प्रस्ताव संख्या 18 में अंकित है। तथा सन् 1966 में जारी पट्टे को वर्तमान समय में 50 से भी अधिक वर्ष बाद प्रश्नगत किया जाना न्यायोचित नहीं है न ही उक्त विलम्ब हेतु युक्तीयुक्त कारण ही बताया है तर्को की ताईद में न्यायिक दृष्टांत 2019 (1) CJ (Civ)(Rg) 1999 DNJ 103 तथा 2008 DNJ 735 पेश किए तथा पट्टा यथावत रखा जाने की ईश्तदुआ करते हुए निगरानी प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जाने हेतु भी निवेदन किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई पत्रावली एवं ग्राम पंचायत के रेकर्ड का तथा अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी का कब्जा होना उनके द्वारा निर्माण कराया जाना तथा अपने दस्तावेजात में जैर निगरानी पट्टे आराजी का अंकित होने का उल्लेख किया है जबकि धारा 97 ... पंचायती राज अधिनियम में प्रदत नियमों के अनुसार पट्टे की ... वैधानिकता एवं नियमितता को ही परखा जा सकता है जिसे अधिवक्ता ... से प्रश्नगत नहीं किया गया है तथा मिसल के अभाव में उक्त तथ्यों सम्बन्धीत विवेचना नहीं की जा सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:30:50 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश....................3

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

किसी आराजी पर कब्जे के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे को अविधिक मानकर निरस्त किया जाना न्यायोचित नही है जबकि प्रस्ताव में जेर निगरानी आराजी का क्रय सुदा होना बताया है। उसी का विक्रय विलेख जारी किया गया है अप्रार्थीगण के पक्ष में निगरानी पट्टा वर्ष 1968 में जारी किया गया है तथा 58 से भी अधिक वर्षों बाद बिना युक्तीसंगत कारण के जैर निगरानी प्रस्ताव व पट्टे को प्रश्नतगत करना विधिसम्मत नही माना जा सकता इस बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2019 (c) CJ (civ) (Raj) 272 इस प्रकरण में चस्पा होता है। पुनरीक्षण में प्रक्रियात्मक दावे की अवैधानिकता या अनियमितता का कोई भी महत्वपूर्ण बिन्दु दर्शित नहीं किया जाने से जैर निगरानी पट्टा यथावत रखा जाना न्यायोचित है। प्रकरण में टाईटल का विवाद होना प्रतीत होता है। जिस बबात अनुतोष प्रार्थी सिविल वाद प्रस्तुत कर अपने हक हकूक प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी तथ्यों से परे होने से अस्वीकार की जाती है तथा जैर निगरानी पट्टा संख्या 35 दिनांक 25.01.1968 जो मिसल संख्या 29/66 दिनांक 15.05.1966 में पारित आदेश एवं प्रस्ताव संख्या 18 दिनांक 30.11.1967 की पालना में ग्राम पंचायत एरनपुरा द्वारा जारी किया गया उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही होने से उसे यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22/2/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायाय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:30:50 IST
Reason: SelfAttested